क्रमांकः प. 3 (1) वित्त/साविलेनि/2020 जयपुर, दिनांक : 21.10.2020

समस्त लेखा संवर्ग के अधिकारी।

विषय : लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–।। के संबंध में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) एवं उनके उत्तर पर सुझाव/टिप्पणी हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–।। के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) एवं उनके उत्तर तैयार कर उनका प्रारूप संलग्न कर निवेदन है कि प्रारूप का अध्ययन कर इनके संबंध में आपके सुझाव एवं टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरकर्ता को ई–मेल "jsfgt@rajasthan. gov.in" पर दिनांक 05.11.2020 तक सूचित करावें ताकि इन सुझावों/टिप्पणी पर विचार कर उक्त FAQ को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराया जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार FAQs

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

संयुक्त शासन सचिव

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

PUBLIC WORKS FINANCIAL & ACCOUNTS RULES PART-II

Frequently Asked Question

(अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q.1	निर्माण विभागों में परियोजनाओं/योजनाओं व मूल कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने की सक्षमता क्या है?
Ans.	प्रशासनिक विभाग - रुपये 500 लाख तक मुख्य अभियंता - रुपये 150 लाख तक अति. मुख्य अभियंता - रुपये 100 लाख तक अधीक्षण अभियंता - रुपये 10 लाख तक (सर्वे व डिजाइन कार्यों हेतु) अधिशाषी अभियंता - रुपये 5 लाख तक (सर्वे व डिजाइन कार्यों हेतु) जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग हेतु RWSSMB की वित्तीय समिति - पूर्ण शक्तियां (500 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं में PPC का पूर्व अनुमोदन व वित्त विभाग की सहमति आवश्यक) मुख्य अभियंता - रुपये 100 लाख अति.मुख्य अभियंता - रुपये 50 लाख (आईटम-1, परिशिष्ट-XIII)
Q.2	तकनीकी स्वीकृति जारी करने की सक्षमता क्या है?
Ans.	मुख्य अभियंता - पूर्ण शक्तियां अति. मुख्य अभियंता - पूर्ण शक्तियां अधीक्षण अभियंता - रुपये 500 लाख अधिशाषी अभियंता - रुपये 200 लाख जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग हेतु RWSSMB की तकनीकी समिति - पूर्ण शक्तियां मुख्य अभियंता - रुपये 2500 लाख अति.मुख्य अभियंता - रुपये 250 लाख

	अधीक्षण अभियंता - रुपये 120 लाख अधिशाषी अभियंता - रुपये 30 लाख (आईटम-5, परिशिष्ट-XIII)
Q.3	संशोधित या पूरक अनुमान कितना अधिक होने पर ताजा (Fresh) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मांगी जायेगी?
Ans.	10 प्रतिशत से अधिक (आईटम-5, परिशिष्ट- XIII)
Q.4	सभी मूल कार्यों, मरम्मत और रखरखाव हेतु बोलियां (Bids) स्वीकार करने की सक्षमता क्या है?
ans.	1. सर्वाधिकार प्राप्त मण्डल/तकनीकी परामर्शदात्री समिति (EB/TAC)- पूर्ण शक्तियां 2. मुख्य अभियंता - रुपये 1500 लाख तक 3. अति. मुख्य अभियंता - रुपये 750 लाख तक 4. अधीक्षण अभियंता - रुपये 300 लाख तक 5. अधिशाषी अभियंता - रुपये 75 लाख तक <u>जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग हेतु</u> RWSSMB की वित्तीय समिति - पूर्ण शक्तियां मुख्य अभियंता - रुपये 500 लाख अति.मुख्य अभियंता - रुपये 250 लाख अधीक्षण अभियंता - रुपये 120 लाख अधिशाषी अभियंता - रुपये 30 लाख (आईटम-16, परिशिष्ट-XIII)
Q.5	Bride/Road/By-pass के लिए टोल टैक्स संग्रहण (Collection) के लिए बोलियां (Bids) स्वीकार करने की सक्षमता क्या है?
Ans.	1.सर्वाधिकार प्राप्त मण्डल/वित्तीय समिति/तकनीकी परामर्शदात्री समिति (EB/FC/TAC) - पूर्ण शक्तियां 2. मुख्य अभियंता - रुपये 750 लाख तक

	3. अति. मुख्य अभियंता - रुपये 375 लाख तक (आईटम-18, परिशिष्ट- XIII)
Q.6	बोलियों को अस्वीकार करने के लिए कौन सक्षम है?
Ans.	Bid Sanctioning Authority – पूर्ण शक्तियां (RTPP Rules, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत)
Q.7	नेगोशियेशन के लिये कौन सक्षम है?
Ans.	Bid Evaluation Committee – पूर्ण शक्तियां (RTPP Rules, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत)
Q.8	Clause of agreement के तहत Price Variation के भुगतान की स्वीकृति कौन जारी कर सकता है?
Ans.	अधिशाषी अभियंता (आईटम-27, परिशिष्ट- XIII)
Q.9	बी.एस.आर. को कौन मंजूर कर सकता है?
Ans.	मुख्य अभियंता - पूर्ण शक्तियां (आईटम-32, परिशिष्ट-XIII)
Q.10	Extra Items के निष्पादन एवं भुगतान की स्वीकृति कौन दे सकता है? (बोली दस्तावेज एवं संविदा शर्तों के अनुसार)
Ans.	PE/Bid Sanctioning Authority - 5% तक (RTPP Rules 73(2) के प्रावधानों के अनुसार)
Q.11	किसी कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने /DLP पूर्ण होने पर Security Deposits/Performance Security के रिफण्ड की स्वीकृति जारी करने हेतु कौन सक्षम है?
Ans.	अधिशाषी अभियंता - पूर्ण शक्तियां (आईटम-35, परिशिष्ट-XIII)
Q.12	ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा विस्तार हेतु आवेदन की अवधि क्या है?
Ans.	यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में उसके अपरिहार्य बाधाओं से गुजरने के आधारों पर या अन्य किन्हीं आधारों पर कार्य पूर्ण करने के समय में विस्तार चाहेगा तो वह बाधा, जिसके कारण वह ऐसा विस्तार उपर्युक्त रूप

	से चाहता है, की तारीख के 30 दिन के भीतर प्रभारी अभियंता को लिखित आवेदन करेगा। (क्लाज-5, परिशिष्ट-XI)
Q.13.	चालू लेखा बिल (Running Account Bill) का भुगतान कितने समय के किये जाने का प्रावधान है?
Ans.	रनिंग अकाउंट बिल का संदाय (Payment) उसके प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर किया जायेगा। (क्लाज-7, परिशिष्ट-XI)
Q.14.	अंतिम बिलों के संदाय (Payments of Final Bills) के लिए समय सीमा क्या है?
Ans.	अंतिम बिल का संदाय, संविदा की शर्तों के खण्ड 6 के अनुसार अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत करने के 3 मास के भीतर किया जायेगा। (क्लाज-7A, परिशिष्ट-XI)
Q.15	विवादों के निपटारे के लिये गठित स्थायी समिति में कौन-कौन शामिल होगा?
Ans.	1. संबंधित प्रशासनिक सचिव 2. वित्त सचिव या उनका नामित अधिकारी (उप सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं) 3. विधि सचिव या उनका नामित अधिकारी (JLR स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं) 4. संबंधित विभाग का मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव 5. संबंधित मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता - सदस्य सचिव (क्लाज-23, परिशिष्ट-XI)
Q.16	स्थायी समिति के समक्ष दावा प्रस्तुत करने हेतु कितनी फीस निर्धारित है?
Ans.	विवादित राशि का 2 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपये (क्लाज-23, परिशिष्ट-XI)
Q.17	प्रभारी अभियंता संवेदक से प्राप्त विवादित मामले को प्राप्ति के कितनी समयावधि के भीतर स्थायी समिति के समक्ष पेश करेगा?

Ans.	**तीन माह की अवधि के भीतर।** **(क्लाज-23, परिशिष्ट- XI)**
Q.18	**प्रभारी अभियंता की परिभाषा क्या है?**
Ans.	**पद 'प्रभारी अभियंता' से खण्डीय अधिकारी अभिप्रेत है जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और प्रभारी होगा तथा जो राज्यपाल के निमित्त संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।** **(क्लाज-27A, परिशिष्ट- XI)**
Q.19	**कोई सेवानिवृत्त अधिकारी जो अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित रहा हो, सेवानिवृत्ति के कितने समय तक ठेकेदार के रूप में कार्य नहीं कर सकता?**
Ans.	**सेवानिवृत्ति के दो वर्ष की अवधि तक।**